

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

नवीन स्वास्थ्य भवन प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक/एफ 03-39/2024/विज्ञाप/1006
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 10/06/2024
18/06/2024

समस्त

छत्तीसगढ़

- द्वारा:- मुख्य चिकि.अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक।
विषय :- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ नोटिस ।
संदर्भ :- (1) छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन के पत्र क एफ-6-2/2023/17-1(पार्ट) नवा रायपुर दिनांक 22.05.2024 ।
(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय का पत्र क एफ-03-1/2024/1-3/नवा रायपुर दिनांक 14.05.2024 ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक ----- से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2014/1-3 दिनांक 10.02.2015 में उल्लेख है कि "एक माह या उससे अधिक समय तक अनाधिकृत अनुपस्थित को सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जावे एवं ऐसे शासकीय सेवकों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल "दीर्घशास्ति" के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे।"

पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2014/1-3 दिनांक 10.02.2015 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1 विशेष सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर आपके संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ ।
- 2 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ ।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक छत्तीसगढ़ की ओर एक अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि जारी पत्र की प्रति संबंधित चिकित्सक के स्थायी पते पर भेजकर तामिली प्रतिवेदन एवं एक प्रति संबंधित के सेवा अभिलेख पर संधारित कर जारी पत्र इसकी प्रविष्टी सेवा पुस्तिका में करने के उपरांत सेवा पुस्तिका प्रविष्टी की पुष्टि हेतु छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ।

(स्वी संलग्न)

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग.
अनाधिकृत अनुपस्थित चिकित्सक (नियमित)**

क	जिला	संस्था	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रथम उपस्थिति	अनुपस्थिति दिनांक
---	------	--------	----------------	-------	----------------	-------------------

3 वर्ष से कम समयावधि में अनुपस्थित

1	Balrampur	CMO	डॉ.मणिका खलखो	चिकित्सा अधिकारी	01-08-2022	29-09-2023
2	Balrampur	CMO	डॉ.विनिका भगत	चिकित्सा अधिकारी	07-11-2020	21-03-2024
3	Kondagaon	CMO	डॉ.आर.एन.अवस्थी	चिकित्सा अधिकारी	28-03-2001	18-02-2024
4	Kabirdham	CMO	डॉ.कोमल शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	02-08-2022	19-10-2022
5	Kabirdham	CMO	डॉ.आशा धिडौले	चिकित्सा अधिकारी	12-08-2022	
6	Kabirdham	CMO	डॉ.राहुल जैन	चिकित्सा अधिकारी	07-02-2023	16-02-2024
7	Raigarh	CMO	डॉ.डी.प्रशांत कुमार	चिकित्सा अधिकारी	14-07-2014	01-11-2021
8	Khairagarh	CMO	डॉ.वैभव हिरवानी	चिकित्सा अधिकारी	Awaited	27-09-2023
9	Gariyaband	CMO	डॉ.महावीर अग्रवाल	मेडिसिन विशेषज्ञ	01-12-2009	29-05-2022
10	Gariyaband	CMO	डॉ.निशा नवरत्न	चिकित्सा अधिकारी	10-03-2006	01-05-2023
11	Gariyaband	CMO	डॉ.विकास भगत	चिकित्सा अधिकारी	01-08-2022	01-05-2023
12	Gariyaband	CMO	डॉ.कालेश्वर कुमार नेगी	चिकित्सा अधिकारी	24-08-2016	22-09-2023
13	Dantewada	CMO	डॉ.देवेन्द्र प्रताप	चिकित्सा अधिकारी	07-02-2019	01-09-2021
14	Dantewada	CMO	डॉ.बी.कार्तिक रेड्डी	चिकित्सा अधिकारी	15-02-2019	18-04-2022
15	Dantewada	CMO	डॉ.यशवंत चंद्रा	चिकित्सा अधिकारी	09-11-2022	01-01-2022
16	Dantewada	CMO	डॉ.राजा शेखर रेड्डी	चिकित्सा अधिकारी	19-02-2019	01-05-2022
17	Mahasamund	CMO	डॉ.मेघा सिंह	चिकित्सा अधिकारी	12-08-2022	14-09-2023
18	Durg	CMO	डॉ.राजन बाबू	चिकित्सा अधिकारी	19-02-2019	03-12-2022
19	Durg	CMO	डॉ.हरिओम चंद्राकर	चिकित्सा अधिकारी	08-03-2013	27-03-2023
20	Durg	CMO	डॉ.गुलशन दिल्लीवार	रेडियोलॉजिस्ट	01-07-2022	01-08-2023
21	Bemetara	CMO	डॉ.विभा वर्मन	चिकित्सा अधिकारी	04-11-2020	04-03-2022
22	Bemetara	CMO	डॉ.मनीष चौहान	निश्चेतना विशेषज्ञ	24-06-2022	25-06-2022
23	Bemetara	CMO	डॉ.ओमश्री वैष्णव	चिकित्सा अधिकारी	08-08-2022	12-12-2023
24	Bemetara	CMO	डॉ.रजन सोलोमन	चिकित्सा अधिकारी	21-12-2022	26-12-2022
25	Bemetara	CMO	डॉ.अल्का साहू	चिकित्सा अधिकारी	12-08-2022	21-11-2022
26	Jashpur	CS	डॉ.प्रफूल लकड़ा	चिकित्सा अधिकारी	12-02-2019	29-04-2024
27	Jashpur	CS	डॉ.श्रद्धा तिकी	चिकित्सा अधिकारी	07-11-2021	29-04-2024
28	Janjgir	CMO	डॉ.रामायण सिंह	चिकित्सा अधिकारी	10-07-1996	21-03-2023
29	Baster	CS	डॉ.गोपेश कुमार	चिकित्सा अधिकारी	19-09-2006	29-01-2023
30	Baster	CS	डॉ.मनीष मेश्राम	चिकित्सा अधिकारी	02-03-2013	12-07-2023
31	Mungeli	CMO	डॉ. वरुण गोस्वामी	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	04.07.2022	05.07.2022
32	Mungeli	CMO	डॉ. भाव्या माहेश्वरी	चिकित्सा अधिकारी	12.08.2022	01.08.2023
33	Mungeli	CMO	डॉ. कृतिका साहू	चिकित्सा अधिकारी	07.11.2020	07.07.2023
34	Mungeli	CMO	डॉ. जितेश देवांगन	चिकित्सा अधिकारी	07-02-2023	05-10-2023
35	Mungeli	CMO	डॉ. कोमल	चिकित्सा अधिकारी	07-06-2022	05-10-2023
36	Mungeli	CMO	डॉ. अंजिता दत्ता	चिकित्सा अधिकारी	07-02-2024	04-04-2024
37	Bilaspur	CMO	डॉ.चंद्रभूषण देवांगन	चिकित्सा अधिकारी	01-07-2022	08-07-2022
38	Narayanpur	CMO	डॉ.अभिनव बंधोर	चिकित्सा अधिकारी	24-09-2022	Cont.
			योग			


उप संचालक (विज्ञाप)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

नवीन स्वास्थ्य भवन प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक/एफ 03-39/2024/विज्ञाप/1103
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/06/2024
27.06.24

डॉ. रमेश

छत्तीसगढ़

द्वारा:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधी.....।
विषय :- 03 वर्ष अधिक समयावधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों के संबंध में कारण बताओ नोटिस।

- संदर्भ :- (1) छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन के पत्र क एफ-6-2/2023/17-1(पार्ट) नवा रायपुर दिनांक 22.05.2024।
(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय का पत्र क एफ-03-1/2024/1-3/नवा रायपुर दिनांक 14.05.2024।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नियंत्रणकर्ता अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार निम्नांकित 28 चिकित्सक जो 31.03.2024 की स्थिति में 03 वर्ष से अधिक समयावधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है सूची निम्नानुसार है:-

स. क	जिला	संस्था	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रथम उपस्थिति	अनुपस्थिति दिनांक	अनाधिकृत अनुपस्थित
1	Sarguja	CMO	डॉ.अशोक गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	16-09-2013	01-03-2021	1
2	Sarguja	CMO	डॉ.शिशिर चंद्राकर	चिकित्सा अधिकारी	11-10-2020	12-10-2020	1
3	Sarguja	CMO	डॉ.गीता पैकरा	चिकित्सा अधिकारी	12-02-2019	01-06-2019	1
4	Raigarh	CMO	डॉ.वेदना पटेल	चिकित्सा अधिकारी	12-08-2016	31-05-2020	1
5	Raigarh	CMO	डॉ.सौरभ अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	22-08-2016	28-12-2020	1
6	Raigarh	CMO	डॉ.दीपिका अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	13-02-2019	12-05-2021	1
7	Balod	CMO	डॉ.जी.गौतम	चिकित्सा अधिकारी	07-12-2009	15-10-2015	1
8	Balod	CMO	डॉ.ओमप्रकार गौरे	चिकित्सा अधिकारी	11-02-2019	06-07-2020	1
9	Balod	CMO	डॉ.विवेक साहू	चिकित्सा अधिकारी	31-12-2014	06-01-2015	1
10	Balod	CMO	डॉ.विश्वजीत करकड़े	चिकित्सा अधिकारी	01-01-2015	20-02-2015	1
11	Rajnadgaon	CMO	डॉ.अपराजिला माहेश्वरी	चिकित्सा अधिकारी	10-11-2020	10-11-2020	1
12	Sukama	CMO	डॉ.बौक्का पवन कुमार	चिकित्सा अधिकारी	15-02-2019	01-03-2021	1
13	Gariyaband	CMO	डॉ.नेहा सरजल	चिकित्सा अधिकारी	24-07-2017	22-09-2019	1

स. क.	जिला	संस्था	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रथम उपस्थिति	अनुपस्थिति दिनांक	अनाधिकृत अनुपस्थिति
14	Durg	CMO	डॉ.ईशा अरविंद	चिकित्सा अधिकारी	13-02-2019	05-09-2019	1
15	Durg	CMO	डॉ.जिज्ञान अतीव दानी	चिकित्सा अधिकारी	02-09-2011	21-07-2020	1
16	Durg	CMO	डॉ.अवधेश प्रताप सिंह	चिकित्सा अधिकारी	14-02-2019	30-07-2020	1
17	Durg	CMO	डॉ.श्रुति तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	11-02-2019	18-04-2019	1
18	Durg	CMO	डॉ.मानवेन्द्र जंघेल	चिकित्सा अधिकारी	21-02-2019	22-02-2019	1
19	Koria	CMO	डॉ.देवेश प्रधान	चिकित्सा अधिकारी	31-03-2006	15-07-2020	1
20	Baster	CS	डॉ.तरुण नायक	चिकित्सा अधिकारी	19-08-2013	17-04-2013	1
21	Baloda bazar	CMO	डॉ.योगेन्द्र सोनवानी	चिकित्सा अधिकारी	17-09-2013	17-09-2013	1
22	Baloda bazar	CMO	डॉ.योगेश धाबर्ड	चिकित्सा अधिकारी	09-12-2009	00-09-2014	1
23	Mungeli	CMO	डॉ. दीक्षा मरकाम	चिकित्सा अधिकारी	10.11.2020	11.11.2020	1
24	Mungeli	CMO	डॉ. तान्या मिश्रा	चिकित्सा अधिकारी	18-02-2019	21-02-2019	1
25	Bilaspur	CMO	डॉ. संदीप तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	02-11-2002	04-10-2009	1
26	Bilaspur	CMO	डॉ.प्रणव कांत अंधारे	चिकित्सा अधिकारी	07-03-2006	05-01-2011	1
27	Bilaspur	CMO	डॉ.विनीता पाण्डेय	चिकित्सा अधिकारी	10-12-2009	16-05-2016	1
28	Narayanpur	CMO	डॉ. रुपनारायण साहू	चिकित्सा अधिकारी	24-08-2016	Cont.	1
			योग				28

तीन वर्ष से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 28 चिकित्सको को वित्त निर्देश 15/2018 छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 11 एवं छ.ग. मूलभूत नियम 18 एवं अधिसूचना क्रमांक 144/एल 2018-04-00428/वित्त/नियम/चार दिनांक 22 मार्च 2018 के तहत "कोई शासकीय सेवक अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से भिन्न, तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ समझा जावेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवधिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करे, परन्तु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा"

उक्त सूची अनुसार आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, आप कारण बताओ नोटिस से संबंधित प्रतिउत्तर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित की जा सके।


संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ ।
- 2 विशेष सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर आपके संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ ।
- 3 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ ।
- 4 जिला कलेक्टर.....जिला..... ।
- 5 संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर ।
- 6 अवर सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ।
- 7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
छत्तीसगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूची में संबंधित चिकित्सक के स्थायी पते पर भेजकर नियमानुसार तामिल कराये 15 दिवस उपरांत संबंधित चिकित्सक से किसी प्रकार का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित चिकित्सकों पर आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए विभागीय जॉच प्रारूप सहित सेवा समाप्ति का प्रस्ताव विशेष पत्र वाहक के माध्यम से संचालनलाय में उपलब्ध करायें ।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़